भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 926
10.02.2025 को उत्तर के लिए

सतत वन्य जीव और वन पर्यटन का विकास

926. श्री नवसकनी के. :
श्री सी. एन. अन्नादुरई :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में वन्य जीव और वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु राज्य में इसके क्या अवसर हैं;

(ख) सरकार द्वारा उक्त राज्य सहित देश के भीतर अधिसूचित टाइगर रिजर्वों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में वन्य जीव और वन पर्यटन की संभावना का दोहन करने और उसे बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सतत वन्य जीव और वन पर्यटन के विकास में हितधारकों के रूप में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान सतत वन्य जीव और वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत पारिस्थितिकीय पर्यटन संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के साथ-साथ वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

बाघ रिजर्वों और उनके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी कार्यकलाप मंत्रालय द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-ओ (1)(ग) के तहत जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन कार्यकलापों और बाघ परियोजना के लिए नियामक मानक) दिशानिर्देश, 2012 के अनुसार किए जाते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'वन और वन्यजीव क्षेत्रों में सतत पारिस्थितिक पर्यटन के लिए दिशानिर्देश एईएएस-2021' भी जारी किए हैं, जो स्थानीय समुदायों की प्रकृति पर्यटन में भागीदारी को इस तरह बढ़ावा देता है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था समृद्ध हो और आर्थिक रूप से व्यवहार्य मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से स्वदेशी सामग्रियों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं - 'वन्यजीव पर्यावास का विकास' और 'बाघ और हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण क्रमशः **अनुबंध-I और अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

'सतत वन्य जीव और वन पर्यटन का विकास' के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गत तीन वर्षों के दौरान सी.एस.एस.- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी निधि का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र. सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	135.77	25.125	0
2	अरुणाचल प्रदेश	419.80617	276.44062	672.462
3	असम	0	209.1464	565.10763
4	बिहार	410.85952	0	336.37223
5	चंडीगढ़	0	21.6241	16.498
6	छत्तीसगढ	274.5903	104.457	116.24868
7	गोवा	0	0	50.10
8	गुजरात	0	200.01	206.99
9	हरियाणा	127.331	30.1575	167.85
10	हिमाचल प्रदेश	197.09452	114.3205	94.15328
11	जम्मू और कश्मीर	0	0	69.57972
12	झारखंड	79.53315	0	14.91025
13	कर्नाटक	1256.59314	291.71146	581.52346
14	केरल	295.7737	224.4735	921.0361
15	मध्य प्रदेश	389.34906	265.5508	471.81959
16	महाराष्ट्र	0	350.3879	554.69645
17	मणिपुर	142.50646	180.64379	231.72407
18	मेघालय	530.51253	0	243.56611
19	मिजोरम	198.9678	190.1977	304.207
20	नागालैंड	342.0315	725.6565	1306.3275
21	ओडिशा	726.80273	967.4976	1005.08612
22	राजस्थान	1007.64845	86.78886	0
23	सिक्किम	182.97174	239.66048	187.03237
24	तमिलनाडु	390.75715	132.95205	373.8902
25	उत्तर प्रदेश	169.06261	266.7472	290.64425
26	उत्तराखंड	226.34415	212.9662	498.497
27	पश्चिम बंगाल	757.25599	201.30866	385.29988
28	पुदुचेरी	0	0	5.22
29	लक्षद्वीप	462.086	269.9055	124.655
30	त्रिपुरा	0	0	186.05514
31	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	31.95	61.11591	0.06
	कुल योग	**8755.59767**	**5648.84523**	**9981.61203**

अनुबंध-II

'सतत वन्य जीव और वन पर्यटन का विकास' के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गत तीन वर्षों के दौरान सी.एस.एस.-'बाघ एवं हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी निधि का ब्यौरा

(₹.लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24
		बाघ परियोजना	हाथी परियोजना	बाघ परियोजना	हाथी परियोजना	*बाघ और हाथी परियोजना
1	आंध्र प्रदेश	292.11	20.5565	0.00	0.00	149.421
2	अरुणाचल प्रदेश	869.08	157.7615	787.19	26.8875	1119.9145
3	असम	1476.75	126.716	2559.78	167.4	2619.3078
4	बिहार	552.72	0.00	246.90	0.00	308.9825
5	छत्तीसगढ	355.85	24.785	165.75	0.00	292.855
6	हरियाणा	0.00	4.2345	0.00	17.4	26.1
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
8	झारखंड	195.06	86.682	227.75	78.05	405.785
9	कर्नाटक	2956.70	261.195	1716.92	97.8453	2613.0834
10	केरल	868.78	580.96765	417.59	270.09	996.22425
11	मध्य प्रदेश	3523.52	12.613	3956.88	11.388	4303.794
12	महाराष्ट्र	2991.06	0.00	809.62	28.524	2614.4517
13	मणिपुर	0.00	5.40	0.00	0.00	14.121
14	मेघालय	0.00	141.75	0.00	32.14	65.25
15	मिजोरम	374.13	0.00	78.75	0.00	144
16	नागालैंड	0.00	279.759	0.00	235.575	337.77
17	ओडिशा	1056.86	567.045	946.82	212.7695	1012.5876
18	राजस्थान	841.05	15.18	529.78	6.18609	968.3004
19	तमिलनाडु	1576.22	181.8464	501.35	85.9405	2547.9665
20	तेलंगाना	543.26	0.00	0.00	0.00	323.308
21	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	7.36516	27.0855
22	उत्तराखंड	1463.71	244.12375	741.13	18.7415	1495.5241
23	उत्तर प्रदेश	1304.85	45.993	919.96	9.858	1031.9767
24	पश्चिम बंगाल	708.28	87.8717	458.77	30.05	522.58101
		21949.99	**2844.48**	**15064.94**	**1336.211**	**23960**

*केन्द्र प्रायोजित योजना 'हाथी परियोजना' और केन्द्र प्रायोजित योजना 'बाघ परियोजना' का विलय कर दिया गया है और अब इसे केन्द्र प्रायोजित योजना 'बाघ एवं हाथी परियोजना' के नाम से जाना जाता है।

*****